न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)

प्रार्थना पत्र सं0 66 सन 2019

अन्तर्गत :-

1 रामदयाल सिंह पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी राहडूका बास पोस्ट लाधुसर तहसील मलसीसर जिला झुंझनु

सायल–

बनाम

1. नारायणसिंह पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी राहडूका बास पोस्ट लाधुसर तहसील मलसीसर जिला झुंझनू
2. महावीर पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी राहडूका बास पोस्ट लाधुसर तहसील मलसीसर जिला झुंझनू हाल निवासी मकान न0 सी– 2 ऐकला नगर दवारा पुलिस थाना करणीविहार जयपुर
3. परमेश्वरी पत्नी नोरंग जाति जाट निवासी राहडूका बास पोस्ट लाधुसर तहसील मलसीसर जिला झुंझनू
4. राजकुमार 5. अशोक पि0 नोरंग जाति जाट निवासी राहडूका बास पोस्ट लाधुसर तहसील मलसीसर जिला झुंझनू
6. हस्ती जोजा जगुसिंह जाति राजपुत निवासी जलेउ तहसील रतनगढ जिला चुरू
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर
5. उप पंजीयक रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री विजयसिंह कडवासरा अधिवक्ता सायल
श्री मदन मोहन जोशी गैरसायल संख्या 1

निर्णय दिनांक :– 23.7.19

संक्षेप रूप मे तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 278/230 के खसरा न0 78/2 की 2.0746हैक्ट रोही मौजा धानसीया सायल व गैरसायल न0 1 ता 5 मुश्तरका खातेदारी भूमि है। अराजी खाता संख्या 280/312 के खसरा न0 56 की 2.4035हैक्ट व खसरा न0 112/1 की 1.8848हैक्ट व खसरा न0 116 की 4.7184हैक्ट कुल 9.0067हैक्ट भूमि रोही मौजा धानसिया मे सायल व गैरसायल न0 1 ता 5 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है तथा अराजी जरई खाता संख्या संख्या 803/632 के खसरा न0 83 की 3.6053 हैक्ट खसरा न0 103 की 7.0587हैक्ट रोही मौजा धानसिया गैरसायल न0 6 एवं मृतक बेगाराम के नाम से दर्ज है बेगाराम पुत्र मनसुख के जायज वारिसान सायल व गैरसायल संख्या 1 ता 5 है जो सकी जगह खातेदारी काश्तकार है तथा अराजी जरई खाता संख्या 846/717 के खसरा न0 78/1 की 1.442हैक्ट रोही मौजा धानसीया मृतक पारी व सायल व गैरसायल संख्या 1 ता 5 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है मृतक पारी के जायज वारिसान सायल व गैरसायल न0 1 ता 5 है जो मृतक पारी की भूमि को जायज वारिसान है व खातेदार काश्तकार है।

सायल व गैरसायाल न0 1 ता 5 उपरोक्त भूमि के मुश्तरका खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जिसके कारण सायल व गैरसायल का आपस में काश्त व लगान सीव आदि को लेकर तथा गैरसायल न0 1 ता 5 बिना खाता तक्सीम करवाये बिना डिग्गी बना रहा है तथा पंच पंचायती मे राजीनामा अनुसार कब्जा काश्त में है वैसे भी उक्त भूमि कागजात मुश्तरका दर्ज होने से प्रत्येक इन्च पर प्रत्येक काश्तकार का कब्जा है मगर गैरसायल जबरदस्ती ताकत के बल पर कानुन के खिलाफ जाकर डिग्गी का निर्माण कर रहा है व भूमि की किस्म तब्दील कर रहा है जिससे सायल अपना व गैरसायल न0 1 ता 6 का खाता व लगान अलग– अलग तक्सीम करवा अलग कब्जा पाने का अधिकारी है।

Scanned with CamScanner

वाद भूमि मुश्तरका राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण बिना खाता तक्सीम करवाये सायल के कब्जा की भूमि जो आपसी पंच पंचायती व सहमति से सायल को दी गई उक्त भूमि में डिग्गी का निर्माण बिना सहखातेदारों की सहमति से वादभूमि की किस्म तब्दील कर रहे है गैरसायल अपने मकराद में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी तथा मुकदमे बाजी बढेगी इसलिये सायल गैरसायल न0 1 ता 5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी है प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में है एवं सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे की वह वाद भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग नही हो जाता तब तक वाद भूमि का कोई भाग रहन /बैय नही करे एव ना ही डिग्गी का निर्माण किया जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सायल को एकपक्षिय तोर से सुना जाकर दिनांक 03.06.2019 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर गैरसायलान को जरिये रजिस्टर सम्मन/नोटिस तलब किया गया।

गैरसायल न0 2 ता 6 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी गैरसायल या उनका कोई प्लीडर उपस्थित नही आने के कारण एक पक्षिय कार्यवाही की गई तथा गैरसायल न0 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया की

खाता संख्या 278/230 के खसरा न0 78/2 की 2.0746हैक रोही मौजा धानसीया सायल व गैरसायल न0 1 ता 5 मुश्तरका खातेदारी भूमि है। अराजी खाता संख्या 280/312 के खसरा न0 56 की 2.4035हैक व खसरा न0 112/1 की 1.8848हैक व खसरा न0 116 की 4.7184हैक कुल 9.0067हैक भूमि रोही मौजा धानसिया में सायल व गैरसायल न0 1 ता 5 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है तथा अराजी जरई खाता संख्या संख्या 803/632 के खसरा न0 83 की 3.6053 हैक खसरा न0 103 की 7.0587हैक रोही मौजा धानसिया गैरसायल न0 6 एवं मृतक बेगाराम के नाम से दर्ज है बेगाराम पुत्र मन्सुख के जायज वारिसान सायल व गैरसायल संख्या 1 ता 5 है जो सकी जगह खातेदारी काश्तकार है तथा अराजी जरई खाता संख्या 846/717 के खसरा न0 78/1 की 1.442हैक रोही मौजा धानसीया मृतक पारी व सायल व गैरसायल संख्या 1 ता 5 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है मृतक पारी के जायज वारिसान सायल व गैरसायल न0 1 ता 5 है जो मृतक पारी की भूमि को जायज वारिसान होना स्वीकार है

वाद भूमि गैरसायल न0 1 के पिता के समय की खरीदशुदा है तथा गैरसायल आपस में उस समय पिता के समय से बाहमी बटवारा कर लिया था तथा गैरसायल अपनी सीव व डोल अलग से कायम करके खेत में कुण्ड , मकान डिग्गी आदि बना लिया है तथा गैरसायल अपने हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि पर डिग्गी का निर्माण कर खेत में पानी लगाता है सायल गैरासायल को स्थगन की आड में पानी नही लगाने देता है सायल सीव डोल हटाने में लगा है।

सायल ने विरूद्व गैरसायल एक वाद पूर्व मे पेश किया था जिसके साथ स्थगन आदेश भी पेश किया गया था उक्त वाद नारायण सिह बनाम रामदयाल के नाम से न्यायालय में दर्ज है उक्त वाद की सुनवाई दिनांक 21.06.2018 को लोक अदालत में की जाकर गैरसायल को पाबन्द किया गया था कि वह खेत की सीव ना तोडे निर्णय हो चुका है पुनः सायल स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाने का अधिकारी नही है।

गैरसायल अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में डिग्गी निर्माण करके पानी लगाना चाहता है सायल गैरसायल को अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में डिग्गी निर्माण करने से नही रोक सकता है सायल ने बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र पेश किया गया है खारिज किया जावे। जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील सायल के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल व गैरसायाल न0 1 ता 5 उपरोक्त भूमि के मुश्तरका खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसके कारण सायल व गैरसायल का आपस में काश्त व लगान सीव आदि को लेकर तथा गैरसायल न0 1 ता 5 बिना खाता तक्सीम करवाये बिना डिग्गी बना रहा है तथा पंच पंचायती में राजीनामा अनुसार कब्जा काश्त में है वैसे भी उक्त भूमि कागजात मुश्तरका दर्ज होने से प्रत्येक इन्च पर प्रत्येक काश्तकार का कब्जा है मगर

Scanned with CamScanner

गैरसायल जबरदस्ती ताकत के बल पर कानुन के खिलाफ जाकर डिग्गी का निर्माण कर रहा है व भूमि की किस्म तब्दील कर रहा है जिससे सायल अपना व गैरसायल न0 1 ता 6 का खाता व लगान अलग– अलग तकसीम करवा अलग कब्जा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि मुश्तरका राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण बिना खाता तकसीम करवाये सायल के कब्जा की भूमि जो आपसी पंच पचायती व सहमति से सायल को दी गई उक्त भूमि में डिग्गी का निर्माण बिना सहखातेदारों की सहमति से वादभूमि की किस्म तब्दील कर रहे है गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी तथा मुकदमे बाजी बढेगी इसलिये सायल गैरसायल न0 1 ता 5 को जरिय अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी है प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में है एवं सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे की वह वाद भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग नही हो जाता तब तक वाद भूमि का कोई भाग रहन /बैय नही करे एव ना ही डिग्गी का निर्माण किया जावे अपने कथनों के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आरआरडी – 1987 पज 330 , आरआरडी – 1995 पेज 764 पेश की गई।

वकील गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि गैरसायल न0 1 के पिता के समय की खरीदशुद्धा है तथा गैरसायल आपस में उस समय पिता के समय से बाहमी बटवारा कर लिया था तथा गैरसायल अपनी सीव व डोल अलग से कायम करके खेत में कुण्ड , मकान डिग्गी आदि बना लिया है तथा गैरसायल अपने हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि पर डिग्गी का निर्माण कर खेत में पानी लगाता है सायल गैरासायल को स्थगन की आड में पानी नही लगाने देता है सायल सीव डोल हटाने में लगा है।

सायल ने विरूद्व गैरसायल एक वाद पूर्व मे पेश किया था जिसके साथ स्थगन आदेश भी पेश किया गया था उक्त वाद नारायण सिह बनाम रामदयाल के नाम से न्यायालय में दर्ज है उक्त वाद की सुनवाई दिनांक 21.06.2018 को लोक अदालत में की जाकर गैरसायल को पाबन्द किया गया था कि वह खेत की सीव ना तोडे निर्णय हो चुका है पुनः सायल स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाने का अधिकारी नही है।

गैरसायल अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में डिग्गी निर्माण करके पानी लगाना चाहता है सायल गैरसायल को अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में डिग्गी निर्माण करने से नही रोक सकता है सायल ने बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अपने कथनों के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आरआरटी– 2011 पेज 1419 , आरआरटी – 2015 पेज 976 प्रस्तुत की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजा एवं न्यायायिक दृष्टान्तों का अध्यन्न किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में भूमि सायल एवं गैरसायल एव उनके पुवर्जों के नाम से मुश्तरका खाता में दर्ज है वारिसान एवं हको के सम्बध इस प्रार्थना पत्र में विवेचन नही किया जाना है यह बिन्दु वाद में साक्ष्य सबुतो के आधार पर तय होना है प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण अपूर्णीय क्षति का बिन्दु एवं सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है।

सायल के द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि सायल एवं गैरसायल एवं उनके पूर्वजो के नाम से मुश्तरका खाता में दर्ज है जिसके सम्बध में सायल व गैरसायल दोनो के द्वारा स्वीकार किया गया है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल गैरसायल दोनो के पक्ष में सामान रूप से पाया जाता है।

सायल का कथन है वाद भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज है खाता विभाजन होने के बाद ही यह तय होगा की कोनसी भूमि किसकी उससे पहले प्रत्येक इंच पर मुश्तरका खातेदार का हक हिस्सा होता है इसलिये सायल को खाता विभाजन होने तक डिग्गी निर्माण करने से रोका जावे।

सायल ने जबाब प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी के साथ वाद भूमि के सम्बध में सायल व गैरसायलान के मध्य हुए राजीनामा की प्रतिया पेश की गई है जिसके अवलोकन से पाया जाता है कि वाद भूमि के सम्बध में पूर्व में सायल व गैरसायल का आपस में राजीनामा हुआ है अर्थात वाद भूमि का बहामी बटवारा होना प्रतीत होता है शेष वाद में साक्ष्यों के आधार पर तय होगा।

Scanned with CamScanner

तथा सायल ने पूर्व में भी वाद /प्रार्थना पत्र इसी न्यायालय में पेश किये गये थे जिनका निर्णय बाद सुनवाई दिनांक 21.06.2018 स्थाई निषेधाज्ञा सायल के विरूद्व जारी की जा चुकी है जब एक बाद न्यायालय के द्वारा निर्णय किया जा चुका है तो पुनः पेश किया जाना न्यायोचित नही है फिर भी यह तथ्य वाद में साक्ष्यों के आधार पर साबित होगा।

मुश्तरका खाता की भूमि में डिग्गी का निर्माण किया जाना कृषि भूमि की किस्म परिर्वतन की श्रेणी में ना आकर कृषि भूमि सूधार की श्रेणी में आता है गैरसायल के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त आरआरटी – 2016 पेज 113 हस्तगत प्रकरण पर पूर्णरूप से चस्पा होते है।

गैरसायल को वाद भूमि में डिग्गी निर्माण करने से रोका जाने पर उक्त विवेचन के अनुसार सायल को किसी प्रकार की क्षति नही होती है बल्की गैरसायल को होगी व काश्त के लिये पानी उपलब्ध नही होने से असुविधा गैरसायल को होगी ना की सायल को होगी।

उरोक्त विवेचन अनुसार सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 03.06.2019 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.7.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

(सुरेन्द्र सिह पुरोहित)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner